मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :- स्वाति गुप्ता आर ए एस
राजस्व वाद संख्या :- 49 / 2024

1. नवदीप सिंधू पुत्र गुरमीतसिंह जाति जटसिख निवासी 1 एस.आर.डबल्यू. नाईवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

-- वादी

बनाम

1. बलदेव कौर पत्नी जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 1 एस.आर.डबल्यू. नाईवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. रुपेन्द्र सिंह पुत्र दर्शनसिंह जाति जटसिख निवासी चक 1 एस.आर.डबल्यू. नाईवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. गुरमीतसिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 1 एस.आर.डबल्यू. नाईवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. दर्शनसिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 1 एस.आर.डबल्यू. नाईवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. कर्मजीत कौर पुत्री जोगेन्द्र सिंह पत्नी जोगेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी बुड़सिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. जोगेन्द्र सिंह पुत्र करनैलसिंह जाति जटसिख निवासी 1 एस.आर.डबल्यू. नाईवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
7. हरप्रीत कौर पुत्री गुरमीत सिंह पत्नी मनप्रीत सिंह जाति जटसिख निवासी गंगा तहसील डबवाली जिला सिरसा।
8. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

-- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. ... घोषणा

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.30 15:53:48 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय ... 17.05.2024

...वादी की ओर से श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री ... करनैलसिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 17.05.24 को स्वाति गुप्ता आर ए एस ...पखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश ...ने पर वादी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत

Scanned with OKEN Scanner

स्तावेजात का अवलोकन के बाद वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने पर राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत आदेश किया जाकर अन्तिम डिक्री की जाती
कि वाद पत्र मे वर्णित प्रतिवादीया संख्या 1 बलदेवकौर के नाम से दर्ज चक नम्बर 1 एस
आर.डब्ल्यू. के खाता संख्या 83/108 मे कुल 1.771 हैक्टर मे से 1/2 हिस्सा व इसी चक
के खाता संख्या 84/70 मे कुल 0.759 हैक्टर मे से 1/2 हिस्सा व चक नम्बर 1 एस.आर
डब्ल्यू. के खाता संख्या 81/162 मे कुल 1.518 हैक्टर मे से 5/6 हिस्सा आराजी के वादी
प्रतिवादी संख्या 2 को ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चकन नम्बर 1
एस.आर.डब्ल्यू. के खाता संख्या 83/108, 84/70, 81/162 मे से प्रतिवादीया संख्या 1
बलदेव कौर का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त
प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति मे उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर
नामान्तरण कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही
रहेगी जिसमे किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 17.05.24 को
मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	---	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---	अर्जी के लिये स्टाम्प	---
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	---	प्लीडर की फीस	---
रूपये पर प्लीडर की फीस	---	साक्षियों के लिये निर्वाह भता	---
साक्षियों के लिये निर्वाह भता	---	आदेशिका की तामिल	---
कमिश्नर की फीस	---	कमिश्नर की फीस	---
आदेशिका की तामिल	---	योग	---
योग	---		

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.30 15:53:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner